प्रिय सदस्य,

आप Molina के सदस्य हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपकी देखभाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

आपको Molina में Health Benefits for Immigrant Seniors (HBIS)/ Health Benefits for Immigrant Adults (HBIA) प्रोग्राम के ज़रिए नामांकित किया गया है। यह प्रोग्राम 42+ के वयस्कों और सीनियर्स के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है, चाहे उनका इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। यह कम्युनिकेशन सदस्यों के लिए बनाई गई आपकी हैंडबुक के अलावा उपलब्ध कराया जाता है। हमारी कवरेज सेवाओं, हमारे सेवा प्रदाता नेटवर्क, कवर की जाने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की सूची, लिखित और मौखिक अनुवाद सेवाओं के लिए आपके अधिकार, शिकायत या अपील के तरीके और अगर आपका कोई सवाल हो, तो हमसे संपर्क करने के तरीके के साथ ही Molina के चिकित्सा लाभ प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी आपकी हैंडबुक में दी गई है।

इस इन्सर्ट का मकसद यह समझाना है कि सदस्यों के लिए बनाई गई इस हैंडबुक में लिखी कौन-सी सेवाएं कवर नहीं होंगी; और किन सेवाओं में HBIA/HBIS प्रोग्राम के तहत सह-भुगतान शामिल हो सकता है।

अगर लाभ, प्रदाता या सेवाओं के बारे में आपका कोई सवाल हो, तो कृपया सदस्य सेवा को (855) 687-7861, TTY:711 पर कॉल करें। आप सोमवार – शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। भाषा सहायक और अनुवाद की सुविधा, अनुरोध पर उपलब्ध है।

HBIA/HBIS के लिए कवर की जाने वाली सेवाएं
HBIA/HBIS के तहत, आपके लिए ज़्यादातर सेवाएं मुफ़्त होंगी।

- डॉक्टर देखभाल
- लैब टेस्ट
- प्रिस्क्रिप्शन दवाएं
- डेंटल, विज़न और परिवहन सेवाएं
- पुनर्वास सेवाएं जैसे कि शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा
- मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्य उपयोग विकार सेवाएं।
- अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 90 दिनों तक नर्सिंग पुनर्वास सेवाएं
- किडनी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेवाएं

स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता HBIA/HBIS प्रोग्राम के तहत कुछ सेवाओं पर सह-भुगतान ले सकते हैं। सह-भुगतान वह राशि होती है, जिसका भुगतान आप किसी कवर की गई स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए अपनी ओर से करते हैं।

सह-भुगतान सिर्फ़ इन सेवाओं के लिए लिया जा सकता है:

- गैर-आपातकालीन रोगी को अस्पताल में भर्ती करने पर: $250 तक का सह-भुगतान।
- गैर-आपातकालीन अस्पताल या एंबुलेटरी सर्जिकल ट्रीटमेंट सेंटर (ASTC) की बाह्य-रोगी सेवाएं— 10% तक का Medicaid भुगतान।

आपसे ली जाने वाली राशि, सेवा के आधार पर बदल जाएगी। अपनी सेवा प्राप्त करने से पहले, आपके डॉक्टर को आपको बताना होगा कि क्या वे सह-भुगतान लेंगे और उसकी लागत कितनी होगी।

कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जो HBIA/HBIS के तहत कवर नहीं की जाती हैं:

- लंबे समय की देखभाल सेवाओं को आम तौर पर कवर नहीं किया जाएगा। इसमें नर्सिंग होम की सेवाएं और घर या कम्युनिटी-आधारित सेवाएं जैसे कि नर्सिंग होम सेवाओं के लिए वैकल्पिक रिप्लेसमेंट शामिल हैं।
- ट्रांसप्लांट सेवाएं, जिनमें उपरोक्त कवर की गई सेवाएं शामिल नहीं हैं
- घर और कम्युनिटी-आधारित सेवाएं (छूट वाली सेवाएं)

अन्य संसाधन

अगर आपका कोई सवाल हो, तो कृपया हमें (855) 687-7861, TTY:711 पर कॉल करें। आप सोमवार – शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे> तक हमारे प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। भाषा सहायता और अनुवाद उपलब्ध है।

किसी प्रबंधित देखभाल संगठन के हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, जैसे कि Health Benefits for Immigrant Seniors (HBIS) और Health Benefit for Immigrant Adults (HBIA) में नामांकन करवाने की गिनती सरकारी मदद के परीक्षण में नहीं की जाती है। इन प्रोग्राम में नामांकन करवाने से आपके इमिग्रेशन स्टेटस और इमिग्रेशन के आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकारी मदद के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Protecting Immigrant Families Illinois वेबसाइट या Keep Your Benefits Illinois वेबसाइट पर जाएँ। आप अंग्रेज़ी/ स्पैनिश/ कोरियन/ पोलिश भाषा में भी ICIRR की परिवार सहायता हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं: 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693)।

अगर आपका कोई और सवाल हो, तो कृपया Immigrant Family Resource प्रोग्राम को (855)-437-7669 पर कॉल करें। अगर आपको इस बारे में चिंता है कि इस प्रोग्राम से आपका इमिग्रेशन स्टेटस कैसे बदल सकता है, तो आप Protecting Immigrant Families को pifillinois@povertylaw.org पर ईमेल भी भेज सकते हैं

Illinois Department of Health and Family Services (HFS) वेबसाइट पर https://hfs.illinois.gov/medicalclients/coverageforimmigrantseniors.htmlपर HBIS प्रोग्राम से जुड़े संसाधन और जानकारी उपलब्ध हैं।.

ज़्यादा जानकारी के लिए

ऑफ़िस ऑफ़ वेलकमिंग सेंटर्स फ़ॉर रेफ़्यूजी एंड इमिग्रेंट सर्विसेस, DHS ब्यूरो ऑफ़ रेफ़्यूजी एंड इमिग्रेंड सर्विसेस पर संपर्क करें, (312)-793-7120 पर फ़ोन करें या **DHS.BRIS@illinois.gov** पर ईमेल भेजें